उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 3000–पें0एवंआर0–28/पाकालि/13–108–पी/90, दिनांक : 13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2013 से मंहगाई राहत की लागू दरे।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या :–1021–पें0एवं आर0–28/पाकालि/12–108–पी–31/90, दिनांक 29.07.2013, जिसके द्वारा पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महगाई राहत दिनांक 01.01.2013 से 80 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जुलाई, 2013 से मंहगाई राहत की 10 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य मंहगाई राहत में दिनांक 01 जुलाई, 2013 से 10 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य मंहगाई राहत की वर्तमान 80 प्रतिशत की दर बढ़कर 90 प्रतिशत हो जायेगी।
2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी0/राविप–औ0सं0–19–14(23) एफ–85 दिनांक 16.6.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उपमहाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई राहत का भुगतान उपरोक्त 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
4. मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्या : 3000 –पें0एवंआर0–28/पाकालि/13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्याचंल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रांसकों, लखनऊ।

क्रमशः 2

3. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ/ट्रांसको।
5. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांसको।
8. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, विद्युत पेशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12–आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
13. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड़, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड़, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड़, कानपुर/गुरूद्वारा रोड, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–।।, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
14. प्रबन्धक, (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाईल।

आज्ञा से,

(एच0सी0लाल)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)